

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

187] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 1973/श्रावण 12, 1895
187] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 1973/SRAVANA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August 1973

G.S.R. 380(E).—In exercise of the powers conferred by sections 7 and 28 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Sixth Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the 15th day of August, 1973.

2. In rule 59 of the Indian Post Office Rules, 1933, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that only one-half of the above fee shall be charged for the registration of a value payable book packet containing printed books, the value of which does not exceed Rs. 5/-.”

[No. 1-11/73-R.]

RABI RAY,
Senior Member (Postal Operations) P & T Board
and Ex-officio Addl. Secy.

संचार मंत्रालय]

डाक-तार बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1973

सा० का० नि० 380 (अ).—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 7 और 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय डाकघर नियम, 1933 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय डाकघर (छठा संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये 15 अगस्त, 1973 को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय डाकघर नियम, 1933 के नियम 59 में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि मुद्रित पुस्तकों, जिनका मूल्य 5/-रु० से अधिक न हो, से युक्त मूल्य देय पुस्तक पैकेट के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपर्युक्त फीस की केवल आधी फीस प्रभारित की जाएगी ।”

[सं० 1-11/73-दर]

रवि रे,

ज्येष्ठ सदस्य (डाक परिचालन),
डाक-तार बोर्ड तथा पदेन अपर सचिव ।